

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम पूरणमल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/03/2023 दायर दिनांक 11.01.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा 407 लोडिंग रजि0 संख्या आर.जे.-29-जी.ए.-1891 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ एवं थानाधिकारी सिकन्दरा से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 11.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में रजिस्टर्ड वाहन स्वामी पूरणमल पुत्र श्री भौरीलाल जाति बैरवा उम्र 46 वर्ष, निवासी लांका थाना सिकन्दरा जिला दौसा (राज0) से अनुसंधान किया जा चुका है। अतः जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त वाहन से जप्त शुदा बकरा को, जिसके मालिक का पता नहीं चला है नीलामी के आदेश फरमावें। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करें तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा जप्तशुदा बकरा को नियमानुसार नीलाम कर प्राप्त राशि को जमा राजकोष करावें। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली नियत दिनांक 24.01.2023 को पेश हो</p>	


जिला कलक्टर
अलवर

11/01/23

करीब डल्लो के ठामेका पत्र
पत्रिका तल्लु हककर के डुकर।
डल्लो केका निधायित राशि के सुपुत्र
पत्रिका काय पत्र त्रिने जो तल्लु
श्री पत्रिका त्रिने / 5-10-10- नोकर
को तल्लु सुपुत्र के हक अथवा पत्र
को पत्रिका त्रिने सुपुत्र के हक
का तल्लु-पत्र-पत्र


जिला कारागार
अजमेर (राज.)